भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2617

दिनांक 04 अगस्त 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

शेष बचे मूल द्वीपवासियों को आइलैंडर कार्ड जारी करना

†2617. श्री बिष्णु पद रायः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संसद सदस्य से दिनांक 31.10.2025 के पत्र संख्या 10/एमपी-एएनआई/2025/412 के माध्यम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें शेष बचे मूल द्वीपवासियों का पुनः सर्वेक्षण करने और उन्हें आईलैंडर कार्ड जारी करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का शेष बचे मूल द्वीपवासियों की पहचान करने और सभी पात्र व्यक्तियों को आइलैंडर कार्ड जारी करने हेतु नए सिरे से पुनः सर्वेक्षण कराने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी समय-सीमा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संसद सदस्य से शेष बचे मूल द्वीपवासियों का पुनः सर्वेक्षण करने और उन्हें आइलैंडर कार्ड जारी करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस मुद्दे पर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विचार विमर्श किया गया है। आइलैंडर कार्ड के अभाव में भी, निर्धारित मानदंडों तथा अधिसूचित दस्तावेजों के आधार पर पात्र वास्तविक निवासियों को समुद्री यात्रा (अंतर-द्वीप और मुख्यभूमि) के लिए किराया रियायत, अंतर-द्वीप हेलीकॉप्टर यात्रा किराया रियायत आदि जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।
